

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

नं० - 108/2019

विवरण :-

1. रामस्वरूप पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन नुंवा तहसील भादरा।
2. रामलाल पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन नुंवा तहसील भादरा-लावल्द फौत।
3. खिराज पुत्र भगवानाराम जाति जाट साकिन नुंवा तहसील भादरा।
4. लादुराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट साकिन नुंवा तहसील भादरा।
5. रामकुमार पुत्र भगवानाराम जाति जाट साकिन नुंवा तहसील भादरा।

:-वादीगण

बनाम

1. रावताराम पुत्र नेतराम जाति जाट साकिन नुंवा तहसील भादरा-मृतक
 1/1 दाईदेवी पत्नी स्व० रावताराम जाति जाट साकिन नुंवा भादरा-मृतक
 1/2 विमला उर्फ मेसर उर्फ शारदा पुत्री स्व० रावताराम जाति जाट ललाना
 उत्तरादा तहसील नोहर।
 1/3 कमला उर्फ कान्ता पुत्री स्व० स्व० रावताराम जाति जाट ललाना
 उत्तरादा तहसील नोहर।
2. भगवानाराम पुत्र नेतराम जाति जाट साकिन नुंवा तहसील भादरा।
3. लेखराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट साकिन नुंवा तहसील भादरा।
4. चन्द्रमुखी पुत्री भगवानाराम पत्नी राजकुमार जाति जाट साकिन नुंवा हाल घेउ
 तहसील भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री रामजस गढ़वाल व वकील प्रतिवादीगण श्री महेन्द्र जांगीड़ की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा ग्राम नुंवा के खाता संख्या 223/222 के खसरा संख्या 80/2, 81/1 व 94/2 की कुल तादादी 10.2690 है० जो प्रतिवादी संख्या 1/1 दाईदेवी, प्रतिवादी संख्या 1 रावताराम व वादी संख्या 1 रामस्वरूप के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 1 रामस्वरूप, प्रतिवादिया संख्या 1/2 विमला उर्फ मेसर उर्फ शारदा व प्रतिवादिया संख्या 1/3 कमला उर्फ कान्ता प्रत्येक को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा दाईदेवी व रावताराम का कलमजन करने के आदेश दिये जाते है एवं इसी क्रम में रोही मौजा ग्राम नुंवा के खाता संख्या 143/141 के खसरा संख्या 80/1, 81/2, 94/1 कुल तादादी 10.2810 है० जो वादी संख्या 3 ता 5 खिराज, लादुराम, रामकुमार एवं प्रतिवादी संख्या 2 भगवानाराम के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 3 खिराज, वादी संख्या 4 लादुराम, वादी संख्या 5 रामकुमार एवं प्रतिवादी संख्या 2 भगवानाराम प्रतिवादी संख्या 3 लेखराम व प्रतिवादिया संख्या 4 चन्द्रमुखी प्रत्येक को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एव यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(कल्पित शिवरान कल्लु)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 भादरा जिला हनुमानगढ़